


07.02.2024:-पत्रावली पेशी मे आई। वकील वादी उपस्थित नही आये। वादी एव वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई मगर आवाज लगाने के उपरान्त भी असातन उपस्थित नही आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी /अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

